158

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 – विदिशा R 844-I-17

श्री कुंवर सिंह कुशवाह
द्वारा आज दि. 9-3-17
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कैलाश पुत्र शिवलाल गुर्जर, निवासी–ग्राम टीकोद, तहसील गंजबासौदा, जिला– विदिशा ....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा एस.डी.ओ. गंजबासौदा ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर विदिशा के प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2015–16 आदेश दिनांक 06.02.2017 को पारित।

श्रीमान जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. द्वारा निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना जारी किया गया निगरानीकर्ता ने उपस्थित होकर दिनांक 22.07.2016 को जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2016 के आधार पर भूमि सर्वे सर्वे क्रमांक 150 पर कुल 500 ट्राली 15,00,000/– रूपये के संबंध में कार्यवाही सारहीन होने से निरस्ती योग्य है। आगे यह भी निवेदन किया कि उक्त रेत मेरी नहीं है और न ही मेरे विक्रय का व्यवसाय या स्टॉक ही करता हूँ। मैंने उक्त रेत का स्टॉक नहीं किया उक्त रेत मेरी नहीं है और न ही उक्त रेत से मेरा कोई सरोकार नहीं है रेत किसकी है मुझे नहीं पता मेरे नाम

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट)
9/3/17

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 844–एक/17 जिला –विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
20.6.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री कुअर सिंह कुशवाह उपस्थित होकर यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6.2.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को नोटिस दिया गया था जिसका जबाव दिनांक 22.7.16 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि सर्वे क्रमांक 150 पर कुल 500 ट्राली 15,00,000/– रूपये के संबंध में कार्यवाही सारहीन होने से प्रकरण अपर कलेक्टर जिला विदिशा का निरस्त किया जावे तथा प्रकरण में स्थगन जारी करने का अनुरोध किया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक पर किया गया अर्थदण्ड निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। 3– मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को	

दौहराया गया जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला विदिशा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर धारा–52 के आवेदन पर बहस करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन स्थिगित करने की मांग की। अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में निष्कर्ष निकालते हुये धारा 52 का आवेदन निरस्त किया तथा प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु नियत किया गया। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 99/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 6.2.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य